जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 27-09-2021**

आज दिनांक 27.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन मे जनपद संतकबीरनगर मे सक्रिय अपराधियों एवं मादक पदार्थ बेंचने व सेवन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री अनिल कुमार** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा दिनॉक 26.09.2021 को 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त नाम पता शरीफ पुत्र स्व0 शेर अली निवासी रहीमाबाद थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को समय 22.30 बजे पटनवा पुल के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 646 / 21 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-
1- शरीफ पुत्र स्व0 शेर अली निवासी रहीमाबाद थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर ।

पंजीकृत अभियोगः-
1- मु0अ0सं0 646 / 21 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी मगहर उ0नि0 हरिनरायण दीक्षित, हे0कां0 अरविन्द तिवारी, का0 धर्मेन्द्र शर्मा, कां0 जुबेर अली ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 04.96 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन मे जनपद संतकबीरनगर मे सक्रिय अपराधियों एवं मादक पदार्थ बेंचने व सेवन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री अनिल कुमार** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 27.09.2021 को 04 ग्राम 09.60 मिलीग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त नाम पता मुसम्मी मोहम्मद पुत्र मोहम्मद रईस निवासी मोहल्ला पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को समय 09.30 बजे एच आर पी जी

कालेज के गेट के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 647 / 21 धारा 8 / 22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-
1- मुसम्मी मोहम्मद पुत्र मोहम्मद रईस निवासी मोहल्ला पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोगः-
1- मु0अ0सं0 647 / 21 धारा 8 / 22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी नवीन मंडी उ0नि0 श्री हरेश तिवारी, प्रभारी चौकी बरदहिया उ0नि0 श्री वीरेन्द्र मिश्रा, का0 रविन्द्र कुमार निषाद, का0 राजकुमार यादव, कां0 पवन मद्देशिया।

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 1130 रुपये नकद व ताश के 104 पत्ते बरामद

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्त नाम पता 1 – जीतेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामगति निवासी अजमापुर 2- मोनू चौरसिया पुत्र शिवसागर चौरसिया निवासी नगवा थाना कोतवाली खलीलाबाद को 250 रुपये मालफड़ व 260 रुपये जामातलाशी तथा ताश के 52 पत्तो के साथ 3 – पिंकू यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी बड़गो 4 – रंजीत कुमार गौड़ उर्फ गोलू पुत्र इंदल गौड़ निवासी बड़गो थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 350 रुपये मालफड़ व 270 रुपये जामातलाशी तथा ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 645 / 2021 व 648 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट उ0नि0 श्री रजनीश राय, उ0नि0 श्री पवन कुमार, हे0कां0 गौतम यादव, कां0 विजय कुमार, कां0 अमित कुमार राय।

दुकान में आग लगाने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 313 / 2021 धारा 436 भादवि में वांछित 02 अभियुक्त नाम पता 1- जया 2- सिराज पुत्रगण जावेद निवासीगण केकरहो थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
विदित हो कि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी श्री रामदेव गौड़ निवासी केकरहो थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के चाय की दुकान का बकाया पैंसा मांगने को लेकर दुकान में दिनांक 22.09.2021 की रात्रि को आग लगा दी गयी जिससे की दुकान का सारा सामान जल गया। जिसके संबंध में वादी उपरोक्त द्वारा दिनांक 23.09.2021 को थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था दुधारा पुलिस द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.09.2021 को उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हसमत अली, हे0का0 मोतीलाल यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा मारपीट मे घायल को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1495 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत मरवटिया से इवेन्ट संख्या 08501 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट मे एक महिला के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर विवाद मे घायल महिला को जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मेहदावल भेजवाया गया व घटना के संबंध मे थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद मे घायल महिला को अस्पताल पहुचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रमायन शर्मा, मु0आ0 संतोष कुमार यादव, हो0चा0 पंकज मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 101 वाहनो से 100500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 101 वाहनो से 100500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।